<u>आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद न्यायपीठ 'बी' अहमदाबाद ।</u>

समक्षः सुश्री सुचित्रा काम्बले, न्यायिक सदस्य <u>एवं</u>
श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य

आयकर अपील सं. 1069/एएचडी/2024
(निर्धारण वर्षः लागू नहीं)

युनाइटेड वे ओफ अहमदाबाद बंगलॉ नं. 7, अश्वमेघ सोसायटी, विभाग-7, हसुभाई पार्क के पास, जोधपुर, सेटेलाईट, अहमदाबाद गुजरात- 380015 स्थायी ले.सं. एएएटीयु9707ए	**बनाम**	**आयकर आयुक्त- (छूट)** अहमदाबाद
(अपीलार्थी)		**(प्रत्यर्थी)**

अपीलार्थी की ओर से	श्री दर्शन बेलानी, प्राधिकृत प्रतिनिधि
प्रत्यर्थी की ओर से	श्रीमती ममता सिंघ, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई की तारीख	10.09.2024
उच्चारण की तारीख	25.09.2024

<u>आदेश</u>

<u>श्री नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, लेखा सदस्य द्वारा</u>

यह अपील सीआईटी (छूट), अहमदाबाद, (संक्षेप में 'सीआईटी(ई)') के दिनांक 19.03.2024 के आदेश के विरुद्ध निर्धारिती द्वारा दायर की गई है, जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(iii) के तहत अनुमोदन के लिए निर्धारिती के आवेदन को ख़ारिज कर दिया गया था।

2. सुनवाई के समय, श्री दर्शन बेलानी, विद्वान प्राधिकृत प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि निर्धारित अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और उसने अपील वापस लेने की अनुमति मांगी है। इस संबंध में दिनांक 11.09.2024 को एक पत्र भी दायर किया गया है।

3. हमने निर्धारिती के अनुरोध पर विचार किया है। निर्धारिती के प्राधिकृत प्रतिनिधि ने पत्रांक 11.09.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि निर्धारिती ट्रस्ट को भंग करने की प्रक्रिया में है और इस कारण से अपील वापस लेने की अनुमति मांगी गई है। राजस्व विभाग को निर्धारिती द्वारा अपील वापस लेने पर कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, निर्धारिती की अपील वापस ली गई मानकर ख़ारिज की जाती है।

दिनांकः 25.09.2024 को इस आदेश को उच्चारित किया गया।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(सुचित्रा काम्बले)	(नरेन्द्र प्रसाद सिन्हा)
न्यायिक सदस्य	**लेखा सदस्य**

अहमदाबाद दिनांकः 25/09/2024

सुमरा

<u>आदेश की प्रतिलिपि अग्रेषितः-</u>

1. अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थी
3. संबंधित आयकर आयुक्त
4. आयकर आयुक्त(अपील)
5. विभागीय प्रतिनिधि, आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद।
6. गार्ड फाइल

आदेश से,

सहायक पंजीकार

आयकर अपीलीय अधिकरण, अहमदाबाद।